

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: सामान्य/५/२०२०/ 70009- 50 दिनांक 26-2-2020

उप महानिरीक्षक कारागार
रेज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक,
केन्द्रीय/जिला कारागृह, राजस्थान।
अधीक्षक, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास (दौसा)
अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर।
प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
अधीक्षक, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर।

विषय: कारागार विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशस्ति चिन्ह बाबत।

प्रसंग: इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 69672-800 दिनांक 18.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के प्रासंगिक आदेश द्वारा कारागार विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को महानिदेशक प्रशस्ति चिन्ह दिये जाने का प्रावधान किया गया है। कारागार विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को इस प्रावधान के अन्तर्गत महानिदेशक प्रशस्ति चिन्ह प्रदान किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

अतः उक्तानुसार कार्मिकों को महानिदेशक प्रशस्ति चिन्ह प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण पूर्ति कर संबंधित रेज कार्यालय के माध्यम से तैयार कर दिनांक 02.03.2020 से पूर्व इस कार्यालय को भिजवाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(विकास कुमार)
महानिरीक्षक कारागार-१
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि: अधीक्षक (स्थापना), महानिदेशालय कारागार, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

महानिरीक्षक कारागार-१
राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ठ "अ"

कारागार विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदान किये जाने वाले महानिदेशक प्रशस्ति चिन्ह/असाधारण कार्य पुरस्कार की संस्तुति।

1.	संस्तुत अधिकारी का नाम	
2	पिता का नाम	
3	पद	
4	वर्तमान पदस्थापन का विवरण	
5	स्थाई पता	
6	जन्म दिनांक	
7	प्रथम नियुक्ति की तिथि	
8	वर्तमान पद पर पदोन्नति की तिथि	
9	दिनांक को कुल सेवावधि	
10	दण्ड का प्रकार	संख्या वर्ष
	लघु	
	वृहद्	
11	विचाराधीन विभागीय जांच (कोई हो) का विवरण	
12	महानिदेशक प्रशस्ति चिन्ह प्रदान करने के जेल मुख्यालय आदेश क्रमांक व दिनांक	
13	असाधारण कार्य पुरस्कार के संबंध में विस्तृत विवरण।	

प्रमाणित किया जाता है कि कम संख्या 1 से 13 तक में अंकित सभी सूचनाएँ जेल कर्मी की सेवापुस्तिका से प्रमाणित कर अंकित की गई है।

संस्तोता अधिकारी के हस्ताक्षर
पद व मुहर सहित

परिशिष्ठ "ब"

:: कार्य का विस्तृत विवरण ::

प्रमाणित किया जाता है कि जिनको महानिदेशक प्रशस्ति चिन्ह प्रदान करने की सिफारिश की गई है के द्वारा असाधारण कार्य पुरस्कार इस संबंध में निम्नानुसार प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है:-

1. कार्य का विवरण (200 शब्द)
2. उक्त कर्मचारी की भूमिका (100 शब्द)
3. उक्त कर्मचारी की पहल व अतिरिक्त प्रभार पर टिप्पणी। (100 शब्द)
4. कार्य कब प्रारम्भ हुआ व कब पूर्ण हुआ। (100 शब्द)
5. कार्य का क्या परिणाम रहा। (100 शब्द)
6. इस कार्य से विभाग को क्या फायदा हुआ। (100 शब्द)

संबंधित कारागृह प्रभारी/
अनुशंषाकर्ता

उप महानिरीक्षक की संस्तुति

पदनाम मय सील